रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1972/पौष 6, 1894

No. 292] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1972/PAUSA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th December 1972

SUBJECT.—*Import Policy for the licensing period April 1972—March 1973—Eligibility for making applications.*

No. 194-ITC(PN)/72.—Attention is invited to paras 11 and 25 of Section I of the I.T.C. Policy Red Book (Vol. I) for April 1972—March 1973 in terms of which applications for licences for import of raw materials, components and spares are to be made after utilising the previous set of licences and release orders for raw material components and spares upto the prescribed extent, as indicated below:—

(a) *Units engaged in priority industries.*—The unutilised value of outstanding licences/release orders in hand on the date of application is not more than the c.i.f. value of consumption for the replenishment of which the import licence is claimed. The unutilised value of licence to be taken into account for this purpose will be the balance value available in the customs copies of the licences, reduced by the amount (a) for which firm commitments have been made by opening letters of credit, and (b) for which firm commitments have been made with the Industrial Raw Materials Assistance Centre (IRMAC) set up by the State Trading Corporation. The unutilised value of release order for this purpose will be the value for which

neither the goods have been lifted from the canalising agency, nor payment for the goods has been made to the canalising agency to the extent that it constitutes a firm commitment for lifting the goods against the release order.

(b) *Units engaged in industries other than priority industries: Import Licences.*—Import licences have been utilised to the extent of 90 per cent by way of opening letter of credit/firm commitment made with the Industrial Raw Materials Assistance Centre (IRMAC), or 60 per cent by way of actual importation/supplies drawn from the IRMAC, or 70 per cent by shipment of goods.

Release Orders.—Goods have been lifted from the canalising agency to the extent of at least 60 per cent of the quantity or value covered by the release order, or the payment of the goods has been made by the applicant to the extent that it constitutes a firm commitment for lifting at least 90 per cent of the quantity or value of the goods covered by the release order.

2. It is clarified that applications from units who are unable to utilise the previous set of licences/release orders for raw materials, components and spares upto the specified extent and surrender the unutilised licence(s)/release order(s) to the licensing authority will also be eligible for making applications for grant of licences for import of raw materials, components and spares to the licensing authorities concerned in terms of the import policy for the period April 1972—March 1973, provided in their case the aggregate of the value actually utilised in the aforesaid manner and the value surrendered is not less than the value for which the applicant has to show utilisation of the previous licences/release orders in order to become eligible to the next licences/release orders. In other words, this would mean that the value of licences/release orders surrendered will be taken as having been utilised for the purpose of determining eligibility.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1972

विषय.—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 की लाइसेंस अवधि के लिए आयात नीति—आवेदन पत्रों को भेजने के लिए पात्रता ।

संख्या 194—आई० टी० सी० (पी० एण्ड०)/72.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (बा० 1) के खण्ड 1 की कंडिका 11 तथा 25 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार नीचे संकेत किये गये के अनुसार निर्धारित सीमा तक कच्चे माल संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंसों और रिहाई आदेशों के पिछले सेट का उपयोग करने के बाद कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिये जाने हैं :—

(क) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगी हुई एकक.—वर्तमान बाकी रहे लाइसेंसों/रिहाई आदेशों का अप्रयुक्त मूल्य आवेदन पत्र देने की तारीख से उस प्रतिपूर्ति के लिए उपभोग के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से ज्यादा नहीं है जिसके लिए आयात लाइसेंस का दावा किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए हिसाब में रखे जाने वाले लाइसेंस के अप्रयुक्त मूल्य लाइसेंसों की सत्यापित प्रतियों में उपलब्ध शेष मूल्य होगा जो इसके लिए घटाई गई राशि होगी (क) जिसके लिए

साख-पत्र खोलने के लिए पक्का वचन दिया गया है और (ख) उसके लिए जिसके लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक कच्चे माल के लिए सहायता केन्द्र (औ० क० एस० सी०) को पक्का वचन दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए रिहाई आदेश का सकल मूल्य उस मूल्य के लिए होगा जिसके लिए सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी से तो माल उठाया गया है और न ही ऐसे माल के लिए उस सीमा तक सरणीबद्ध करने वाली ऐजेंसी को भुगतान हो किया गया है जिस सीमा तक रिहाई आदेश के मद्द माल उठाने के लिए पक्का वचन दिया जाता है।

(ख) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न उद्योगों में लगे हुए एककः आयात लाइसेंस.—साख पत्र खोल कर औद्योगिक कच्चे माल के लिए सहायता केन्द्र को पक्का वचन देकर 90% की सीमा तक या औद्योगिक कच्चे माल के लिए सहायता केन्द्र से वास्तविक आयात/सकल 60% तक की सीमा तक या माल के परिदान द्वारा 70% तक की सीमा तक आयात लाइसेंस का उपयोग कर लिया गया है।

रिहाई आदेश

मात्रा की कम से कम 60% की सीमा तक सरणीबद्ध करने वाले एजेंसी से माल उठा लिया गया है या रिहाई आदेश में इतना ही मूल्य शामिल किया गया है या उस सीमा तक माल का आवेदक द्वारा भुगतान कर दिया गया है जिस सीमा तक मात्रा का कम से कम 90% तक माल उठाने के लिए पक्का वचन दिया गया है या रिहाई आदेश में माल का मूल्य शामिल किया गया है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि जो एकक कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंसों/रिहाई आदेशों के पिछले सेट का निर्धारित सीमा तक उपयोग करने में असमर्थ है और बिना उपयोग किए गए लाइसेंस (सां)/रिहाई आदेश (शों) को लाइसेंस प्राधिकारी को सौंप देते हैं तो वे भी अप्रैल 1972—मार्च 1973 अवधि की आयात नीति के अनुसार कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंसों की मंजूरी के लिए सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन पत्र देने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उनके मामले में पूर्वोक्त तरीके से उपयोग किए गए/वास्तविक मूल्य का और सौंपे गए मूल्य का पूर्ण योग उस मूल्य से कमान हो जिसके लिए आवेदक को भविष्य में लाइसेंसों/रिहाई आदेशों के लिए पात्र होने के लिए पिछले लाइसेंसों/रिहाई आदेशों के उपयोग को दिखाना है। दूसरे शब्दों में, इसका यह अर्थ होगा कि पात्रता का निश्चय करने के लिए सौंपे गए लाइसेंसों/रिहाई आदेशों का मूल्य उपयोग कर लिया गया समझा जायगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972